न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः-राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः- 27/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सत्यनारायण आत्मज शंकरलाल नाई निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1. श्यामलाल आत्मज सोहनलाल सैन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. भैरूलाल आत्मज लच्छुराम सैन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. मथरालाल आत्मज अमरचन्द सैन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. शैलसिंह आत्मज शंभुसिंह राजपुत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. रूपसिंह आत्मज जीवनसिंह राजपुत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6. सुखलाल आत्मज डालू सैन निवासी कालेसरिया तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
7. बालु आत्मज नैनुराम सैन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8. गोपीलाल आत्मज डालू सैन निवासी भीम तहसील भीम जिला राजसमन्द
9. इन्द्रमल आत्मज डालू सैन निवासी बग्गड तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
10. लादुलाल आत्मज मदनलाल सैन निवासी पाटिया का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 01.06.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प थला मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजीयात संख्या 788 रकबा 0.29 है0 790 रकबा 0.19 है0, 791 रकबा 0.25 है0, 793 रकबा 0.16 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.89 है0 भुमि खाता संख्या 93 पर स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारो तरफ सीमा के कोई मूश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थी को कास्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने में दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी की उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या एक लगायत 10 प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ के पडौसी होने से पक्षकार बनाये गये हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाने हेतु कहा लेकिन विपक्षी हर बार टालमबाजी का जबाव देते रहे। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 28/12/2017 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से हन्कार हो गये

जिससे प्रार्थी को प्रार्थनापत्र पेश करने हेतु विवश होना पडा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 28/12/2017 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि सादर प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 26.04.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 01, 8, 9 एवं 10 उपस्थित है जो पत्थरगढी कराने मे सहमत है। विपक्षी संख्या 02 से 05 एवं 07 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 06 के विरूद्ध प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहतें। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे कास्त की आराजीयात संख्या 788 रकबा 0.29 है0 790 रकबा 0.19 है0, 791 रकबा 0.25 है0, 793 रकबा 0.16 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.89 है0 भुमि खाता संख्या 93 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे कास्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ साठ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा